[2023] 2 एस. सी. आर 951

/

विशाल तिवारी

बनाम

भारत का संघ व अन्य ।

(लिखित याचिका (सी) 2023 का सं. 162) 02 मार्च, 2023

/

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई**,** पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 -आर. 19 ए-प्रतिभूति बाजार में निवेशक संपत्ति का नुकसान-द हिडेनबर्ग रिपोर्ट-जांच-तत्काल न्यायालय में याचिका का समूह प्रतिभूति बाजार में निवेशक संपत्ति के नुकसान के बारे में है क्योंकि अडानी समूह की कंपनियों के हिस्से में भारी गिरावट आई है क्योंकि एक हिडेनबर्ग रीसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में आरोप विरचित गया था कि अडानी समूह की कंपनियों ने अपने शेयर की कीमतों में हेरफेर किया है और संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का खुलासा करने में भी विफल रही है।19 ए, और यह भी कि क्या अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन का खुलासा करने में कोई विफलता हुई है और यह भी कि क्या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करते हुए स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर किया गया था-इसके अलावा, न्यायालय ने नियामक ढांचे के मौजूदा मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति का आदेश दिया और सिफारिश को मजबूत करने और निवेशक जागरूकता को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देने के लिए भी-साथ ही, विशेषज्ञ समिति के प्रभावी कामकाज के लिए, न्यायालय ने एस. ई. बी. आई. को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया और केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियों को भी समिति के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।

/

/

/

/

/

मूल नागरिक/आपराधिक न्यायनिर्णयः2023 की रिट याचिका (सी) संख्या 162।

/

951 ए.

952

/

[2023] 2 एस सी आर।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सह

लेखन याचिका (सीआरएल) 2023 की सं. 39,2023 की सं. 201 की लिखित याचिका और लिखित याचिका (क्र. सं.) 2023 का सं. 57।

प्रशांत भूषण, सुश्री नेहा राठी, रमेश कुमार मिश्रा, कमल किशोर, वी. वी. गोतम, वरुण ठाकुर, वरिंदर कुमार शर्मा, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

/

तुषार मेहता, एस. जी., जयदीप गुप्ता, सीनियर एड., अखिल अब्राहम रॉय, सुश्री सुरेखा रमन, अभिषेक आनंद, मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी, कानू अग्रवाल, रजत नायर, अरविंद कुमार शर्मा, रमेश बाबू एम. आर., सुश्री मनीषा सिंह, सुश्री निशा शर्मा, सुश्री जागृति भारती, सुश्री तान्या चौधरी, रोहन श्रीवास्तव, एड.उत्तरदाताओं के लिए।

/

विशाल तिवारी, मनोहर लाल शर्मा, याचिकाकर्ता-व्यक्ति।न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

/

आदेश

1. नोटिस करें।

2. याचिकाओं का वर्तमान समूह अडानी समूह की कंपनियों के शेयर की कीमत में भारी गिरावट के कारण पिछले कुछ हफ्तों में प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की संपत्ति के नुकसान से संबंधित है।शेयर की कीमत में गिरावट 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट से आई थी।इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया है कि अडानी समूह की कंपनियों ने अपने शेयर की कीमतों में हेरफेर किया है; संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन और संबंधित पक्षों से संबंधित अन्य प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने में विफल रही है, जो कि एस. ई. बी. आई. द्वारा विरचित गए नियमों का उल्लंघन है; और प्रतिभूति कानूनों के अन्य

प्रावधानों का उल्लंघन किया है।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिन्डेनबर्ग रिसर्च ने अमेरिकी व्यापार बांड और गैर-भारतीय व्यापार व्युत्पन्न उपकरणों के माध्यम से अडानी समूह की कंपनियों में एक छोटी स्थिति ले ली है।इसी पृष्ठभूमि में याचिकाओं का वर्तमान समूह दायर किया गया था।

/

/

/

3. याचिकाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

ए। 2023 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 162 में कहा गया है कि हजारों करोड़ रुपये की सार्वजनिक राशि खतरे में है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक 1 और जीवन बीमा जैसे सार्वजनिक संस्थान

/

1 “एस. बी. आई "

953

विशाल तिवारी बनाम भारत और भारत का संघ।

/

भारतीय निगम 2 अडानी समूह के संपर्क में है।यह अन्य बातों के साथ-साथ भारत संघ और केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की सामग्री की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध करता है।

/

बी। 2023 का डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) संख्या 39 केंद्रीय गृह मंत्रालय को श्री नाथन एंडरसन (हिन्डेनबर्ग रिसर्च के संस्थापक) और उनके सहयोगियों के खिलाफ अल्पविक्रय के लिए एक एफ. आई. आर. दर्ज करने के निर्देश जारी करने और निवेशकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए अल्पविक्रय से प्राप्त लाभ की वसूली के निर्देश देने के लिए है।

/

सी। 2023 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 201 में अन्य बातों के साथ कहा गया है कि "अडानी

समूह सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध अडानी समूह की कंपनियों के 75 प्रतिशत से अधिक शेयरों को गुप्त रूप से नियंत्रित करके प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियमों के नियम 19 ए का घोर उल्लंघन कर रहा है, जिससे बाजार में उसके शेयरों की कीमत में हेरफेर किया जा रहा है।" यह.

/

अन्य बातों के साथ-साथ धोखाधड़ी के आरोपों और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य ऋणदाता संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों द्वारा निभाई गई भूमिका की विशेष जांच दल या केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करता है; और

/

घ. 2023 का डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) 57 किसी भी जांच प्राधिकरण को निर्देश देने के लिए हैः(i) इस न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश की देखरेख अंतर्गत अडानी समूह की कंपनियों की जांच; और (ii) इन लेन-देनों अंतर्गत एल. आई. सी. और एस. बी. आई. की भूमिका की जांच।4. 10 फरवरी 2023 के अपने आदेश में, इस न्यायालय ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में मौजूदा नियामक तंत्र की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय निवेशकों को बाजार में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए उन्हें मजबूत किया जाए। तदनुसार, सॉलिसिटर जनरल को यह सुझाव दिया गया कि वह भारत संघ से एक विशेषज्ञ समिति के गठन और प्रेषण पर निर्देश ले सकते हैं।

/

/

5. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री प्रशांत भूषण और भारत संघ की ओर से पेश विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता को सुना है।उन दोनों ने भी रखा है

2 "एल. आई. सी "

/

गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति के प्रेषण के लिए उनके सुझावों को दर्शाते हुए संक्षिप्त टिप्पणियाँ।इसके अलावा, एस. ई. बी. आई. ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए मौजूदा वैधानिक व्यवस्था, नियामक तंत्र और ढांचे का वर्णन करने वाले तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर एक

संक्षिप्त टिप्पणी दर्ज की है।इसने अल्पविक्रय को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा भी तैयार किया है।श्री विशाल तिवारी और श्री मनोहर लाल शर्मा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं।

/

6. एस. बी. आई. ने अपने नोट में कहा हैः

ए। इसने प्रतिभूतियों को जारी करने और व्यापार दोनों के लिए एक प्रकटीकरण आधारित नियामक व्यवस्था को अपनाया है।यह सूचित निवेशकों से मांग और आपूर्ति के आधार पर बाजारों द्वारा निशुल्क खोज के सिद्धांत के पक्ष में पूंजी मुद्दों के लिए मूल्य निर्धारण नियंत्रण को बंद करने के अनुरूप है; और

/

बी। यह "निवेशकों की सुरक्षा सहित प्रतिभूति बाजारों के स्थिर संचालन और विकास को प्रभावित करने के लिए नियामक ढांचे को स्थापित करने के लिए दृढ़ता से और पर्याप्त रूप से सशक्त है।" इसने विषय वस्तु के संदर्भ में निवेशक संरक्षण को नियंत्रित करने वाले मौजूदा ढांचे का भी विवरण दिया है।इसने कहा है कि निवेशक संरक्षण के प्रमुख स्तंभ हैंः

/

" 11.1 सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निशुल्क और उचित मूल्य की खोज की सुविधा के लिए अनिवार्य प्रकटीकरण और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी निवेशकों को सूचित निवेश निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए सामग्री जानकारी तक समान पहुंच हो;

/

11.2 अस्थिरता प्रबंधन सहित निर्बाध व्यापार और निपटान सुनिश्चित करने के लिए बाजार प्रणाली;

/

11.3 धोखाधड़ी या एस. ई. बी. आई. नियमों के उल्लंघन सहित बाजार में कदाचार की स्थिति में प्रवर्तन कार्रवाई। "7. प्रकाश गुप्ता बनाम एस. ई. बी. आई. मामले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें हममें से एक (डी. वाई. चंद्रचूड़,जे) एक हिस्सा था जिसमें एस. ई. बी. आई. की विशेष नियामक भूमिका पर चर्चा की गई थी और कहा गया था किः

/

"99. एस. ई. बी. आई. अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि इस निर्णय में पहले विश्लेषण किया गया था, उस भूमिका के महत्व को इंगित करेंगे जिसे एक नियामक, न्यायनिर्णायक और अभियोजन के रूप में जिम्मेदार ठहराया गया है।

/

955

विशाल तिवारी बनाम भारत और भारत का संघ।

एजेंसी।निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यवस्थित और स्थिर प्रतिभूतियों के बाजार को बनाए रखने के संदर्भ में एस. ई. बी. आई. के पास महत्वपूर्ण कार्य हैं। "

8. इन याचिकाओं के विषय पर, एस. ई. बी. आई. ने कहा हैः“ 21.1 एस. ई. बी. आई. पहले से ही हिन्डेनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ रिपोर्ट के प्रकाशन से तुरंत पहले और बाद में बाजार गतिविधि, दोनों की जांच कर रहा है, ताकि एस. ई. बी. आई. विनियमों के उल्लंघन की पहचान की जा सके, जिसमें एस. ई. बी. आई. (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम 2003, एस. ई. बी. आई. (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम 2015, एस. ई. बी. आई. (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम 2019, अपतटीय व्युत्पन्न लिखत (ओ. डी. आई.) मानदंड, लघु बिक्री मानदंड, यदि कोई हो।चूंकि मामला जांच के शुरुआती चरण में है, इसलिए इस स्तर पर चल रही कार्यवाही के बारे में विवरण सूचीबद्ध करना उचित नहीं हो सकता है। "

/

/

9. उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच में एस. ई. बी. आई. शामिल है।एस. ई. बी. आई. ने प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम 1957 के कथित उल्लंघन की जांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है जो एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी के रखरखाव का प्रावधान करता है।इसी तरह, कई अन्य आरोप हो सकते हैं जिन्हें एस. ई. बी. आई. को अपनी जांच में शामिल करना चाहिए।

/

/

10. अपनी चल रही जाँच के एक हिस्से के रूप में, एस. ई. बी. आई. याचिकाओं के वर्तमान समूह में उठाए गए मुद्दों के निम्नलिखित पहलुओं की भी जाँच करेगीःए। क्या प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम 1957 के नियम 19 ए का उल्लंघन हुआ है;

/

बी। क्या संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन और अन्य प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने में विफलता हुई है जो कानून के अनुसार, SEBI से संबंधित पक्षों से संबंधित है; और

ग. क्या मौजूदा कानूनों के उल्लंघन में स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर किया गया था।

/

11. उपरोक्त निर्देशों को चल रही जांच की रूपरेखा को सीमित करने के लिए नहीं माना जाएगा। एस. ई. बी. आई. तेजी से दो महीने के भीतर जांच पूरी करेगी और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी।

/

12. इसके अलावा, एस. ई. बी. आई. विशेषज्ञ समिति (इस आदेश के पैराग्राफ 14 में गठित) को इस न्यायालय के निर्देशों को आगे बढ़ाने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ अपनी चल रही जांच को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराएगा।विशेषज्ञ समिति का गठन प्रतिभूति बाजार में हाल की अस्थिरता की अपनी जांच जारी रखने में एस. ई. बी. आई. को अपनी शक्तियों या जिम्मेदारियों से वंचित नहीं करता है।

/

13. प्रकाश गुप्ता (ऊपर) में, हमने प्रतिभूति बाजार से संबंधित विनियमों की विकासशील प्रकृति पर ध्यान दिया।इस न्यायालय ने नोट किया किः

“101. इसलिए, एस. ई. बी. आई. अधिनियम और कानून के अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियम, विनियम और परिपत्र, प्रतिभूति बाजार में व्यवस्था को लागू करने और निवेशक धन की रक्षा करते हुए इसके स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के एक ठोस उद्देश्य के साथ लगातार विकसित हो रहे हैं। "

/

14. भारतीय निवेशकों को हाल के दिनों में देखी गई अस्थिरता से बचाने के लिए, हमारा विचार है कि मौजूदा नियामक ढांचे के मूल्यांकन और इसे मजबूत करने के लिए सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना उचित है।हम एतद्द्वारा निम्नलिखित सदस्यों से बनी एक समिति का गठन करते हैंः

/

/

ए।श्री ओ. पी. भट्ट;

बी। न्यायमूर्ति जे पी देवधर (सेवानिवृत्त) सी।श्री के. वी. कामत;

डी।श्री नंदन नीलेकणी; और

/

ई.श्री सोमशेखर सुंदरेसन।

विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे करेंगे।

15. समिति का प्रेषण इस प्रकार होगाः

/

ए। हाल के दिनों में प्रतिभूति बाजार में अस्थिरता का कारण बने प्रासंगिक कारण कारकों सहित स्थिति का समग्र मूल्यांकन प्रदान करना;

बी। निवेशक जागरूकता को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देना; ए

/

957

विशाल तिवारी बनाम भारत और भारत का संघ।

ग. यह जांच करना कि क्या अडानी समूह या अन्य कंपनियों के संबंध में प्रतिभूति बाजार से संबंधित कानूनों के कथित उल्लंघन से निपटने में नियामक विफलता हुई है; और

घ. (i) वैधानिक और/या नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए उपाय सुझाना; और (ii) निवेशकों की सुरक्षा के लिए मौजूदा ढांचे के साथ सुरक्षित अनुपालन।

/

16. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि समिति को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए।वित्तीय विनियमन से जुड़ी एजेंसियों, वित्तीय एजेंसियों और विधि प्रवर्तन एजेंसियों सहित केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां समिति के साथ सहयोग करेंगी।समिति अपने काम में बाहरी विशेषज्ञों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है।

/

17. समिति के सदस्यों को देय मानदेय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।वित्त मंत्रालय का सचिव एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करेगा जो समिति को रसद सहायता प्रदान करने के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। समिति के कार्य के संबंध में किए गए सभी खर्चों का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

/

18. समिति से अनुरोध है कि वह दो महीने के भीतर इस न्यायालय को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

/

अंकित ज्ञान

निर्देश जारी किए गए।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

/

/

/